| दिनांक 18.11.2026 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति |

# कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन , आगरा।

## जनपद फिरोजाबाद /थाना मटसेना

- **थाना मटसेना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हु02 अभियुक्त गिरफ्तार।मौके से 12 बने-अधबने तमंचे कारतूस एवं शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद गिरफ्तार।**

थाना मटसेना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर दबिश के दौरान मौके से अवैध रूप से तमंचे बनाने एवं उनकी मरम्मत करने में संलिप्त 02 अभियुक्तों 1. चेतराम पुत्र भगवानदास एवं 2. सूरज पुत्र मुन्नालाल को भारी मात्रा में बने / अधबने तमंचे एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है , उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना मटसेना पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. चेतराम पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम अगरूकापुरा, थाना मटसेना, जनपद फिरोजाबाद ।
2. सूरज पुत्र मुन्नालाल निवासी मुखिया मंदिर वाली गली, आशाबाद, थाना रसूलपुर, जनपद फिरोजाबाद ।

### बरामदगी

**अवैध शस्त्र एवं कारतूसः-----**

1. कुल 12 तमंचे (06 तमंचे 12 बोर एवं 06 तमंचे 315 बोर, बने एवं अधबने)
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 01 खोखा कारतूस 12 बोर।
4. 07 लोहे की नाल 315 बोर।
5. 01 लोहे की नाल 12 बोर।
6. तमंचा बॉडी।

**शस्त्र निर्माण में प्रयुक्त उपकरण एवं सामग्रीः---**

1. लोहे की पत्ती एवं हैमर।
2. सड़ांसी एवं हथौड़ी।
3. छैनी एवं सुम्भा।

4. रैती एवं ड्रिल मशीन।
5. लोहे की बांक एवं स्प्रिंग।
6. कील एवं स्क्रू।
7. रेगमाल एवं धौंकनी।
8. आरी एवं आरी ब्लेड।
9. पीतल का तार एवं रांगा पाउडर।
10. लोहे के टुकड़े एवं पेचकस।
11. लकड़ी का कोयला एवं बैठने की पटरी।

**<u>अभियुक्त चेतराम का आपराधिक इतिहास-</u>**

1. मु0अ0सं0 006/2024 धारा 366 भादवि, थाना बसई मोहम्मदपुर, फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 151/2016 धारा 380/411 भादवि, थाना लाइनपार, फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 163/2016 धारा 366 भादवि, थाना लाइनपार, फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 190/2016 धारा 25/27 आयुध अधिनियम, थाना लाइनपार, फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 049/2023 धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना मटसेना, फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 026/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मटसेना, फिरोजाबाद।
7. मु0अ0सं0 302/2026 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम, थाना मटसेना, फिरोजाबाद।

**<u>अभियुक्त सूरज का आपराधिक इतिहास-</u>**

1. मु0अ0सं0 949/2017 धारा 308 भादवि, थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 288/2019 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि, थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 302/2026 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम, थाना मटसेना, फिरोजाबाद।

# जनपद हाथरस /थाना हाथरस गेट

- **हाथरस पुलिस की त्वरित कार्रवाई में चोरी की घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 962 ग्राम सोने-चांदी के आभूषण ₹2,07,100/- नकद एवं अन्य सामान बरामद।**

दिनांक 17.11.2026 को वादी सोनू पुत्र स्व0 महाराज सिंह निवासी जलेसर रोड, गंदा नाला, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट पर सूचना दी गई कि उनके घर में स्थित परचून की दुकान के गल्ले में रखी नकदी एवं सोने-चांदी के आभूषण अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाथरस गेट पर मु0अ0सं0 454/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना हाथरस गेट द्वारा चोरी की घटना में कार्यवाही करते हुए 12 घंटे के अंदर तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण, ₹2,07,100/- नकद एवं अन्य सामान बरामद किया ।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामू पुत्र अतर सिंह निवासी गंदे नाले के पास जलेसर रोड, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस।
2. विजय पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी गंदे नाले के पास जलेसर रोड, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस।
3. प्रिंस पुत्र वीरेन्द्र निवासी मई नाथ, थाना मडराक, जनपद अलीगढ़।

## बरामदगी

1. 12 लच्छे (सफेद धातु)।
2. 01 जोड़ी पायजेब (सफेद धातु)।
3. 04 खडुए (सफेद धातु)।
4. 02 जोड़ी सैंपल (सफेद धातु)।
5. 01 चैन एवं 01 कोंधनी (सफेद धातु)।
6. 02 लौंग एवं 01 ओम (पीली धातु)।
7. गिलट के सिक्के, कीमत ₹450/-।
8. नकद धनराशि ₹2,07,100/-।